

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO)

सालत

बायत

मुकाम

मालाराम



बनाम

मदाराम कौरा

किस्म मुकदमा नं. 88, 53, 188 R/A Act

88/16

सन 2016

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/08/16	<p>प्रार्थी/वकी/अपीलांट के वकील श्री <u>दामोदर साहू</u> ने यह प्रार्थना-पत्र/वीब/अपील धारा <u>88, 53, 188 R/A Act</u> राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>28/09/16</u> को पेश हो।</p> 	
28/09/16	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी/गणों के सम्मन पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये। तदन्तर्गत गिड़ा वी एडी पुनः प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 वी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। जिनको 1 माह के अन्दर समय व्यक्तित हो गया। प्रतिवादी संख्या 1 वी क्रॉस के जोड़े उपस्थित नहीं उक्त जिनसे खिलाफ एडवोकेट हाफवारी फर्मल में लार्ड जारी है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 के जवाब हेतु पत्रावली आरम्भ दिनांक 22/11/16 को पेश हो।</p> 	



18/3/2020

पत्रावली आज-वाडी काधिकारही धमकारण
जीके निवेदन पर प्रस्तुत हुई। वाडी-काधिकार
ने Not Press किया है। अतः Not Press
सें वाड खारिज किया जाता है। पत्रावली
कलकत्ता लेख बाखिल कफार है।

विश्वनाथ

18.3.2020

सहायक कलेक्टर (SDO)
बाधत

उत्तर
धमकारण

Not Press

by me

18/3/20